उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःदस–55–2009 . दिनॉकःदिसम्बर 31, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली–2016 में निहित निर्देशों के अनुसार अनुपयुक्त को समाप्त करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस को उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके सम्मुख नियुक्ति स्थान पर ही उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :–

क्र	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जनपद	परिक्षेत्र/इकाई	चयन का वर्ष
1	782412624	अक्षयवर नाथ राम	गोपालजी राम	कानपुर नगर	कानपुर	2016

2. पदोन्नति पाये उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस अपने नियुक्ति स्थान जनपद के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेगें एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें जिसे सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना उ0प्र0 द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी 03 परिस्थितियॉ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस उपरोक्त के विरूद्ध विद्यमान नहीं हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में उपर्युक्त प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो उपरोक्त मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस को उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो उक्त मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन नहीं कराया जायेगा तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित है।

संलग्नक : प्रारूप (क)।

31.12.16

(अशोक कुमार)
पुलिस अधीक्षक–कार्मिक
उ0प्र0।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन, कानपुर।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक–कार्मिक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित है। कृपया **उक्त आदेश एवं प्रारूप (क) की प्रति** उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।